



2026:AHC:162672

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 27056 / 2026

लवकुश निषाद

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	अमर दीप निषाद, सोनम निषाद, वंदना सिंह
विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-विरोधी पक्ष के विद्वान ए.जी.ए. श्री वी.पी. त्रिपाठी को सुना।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 38/2026 अंतर्गत धारा 108 बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - करछना, जिला - यमुना नगर (कमिश्नरेट प्रयागराज) में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक मृतक का पति है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना कथित तौर 10.02.2026 को पर घटी थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 14.02.2026 को दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में अत्यधिक बिलंब अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण फांसी के कारण दम घुटना है। इसके अतिरिक्त, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और विवेचना के दौरान एकत्रित सामग्री के अनुसार, धारा 108 बी.एन.एस. के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते हैं। आवेदक ने किसी भी

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रकार से मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया नहीं। मात्र यह आरोप कि आवेदक के सह-अभियुक्त निर्मला कुमारी के साथ अवैध संबंध थे, आत्महत्या के लिए उकसाने, जानबूझकर सहायता करने या मृतक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाले किसी भी प्रत्यक्ष कृत्य के अभाव में, आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बनता है। अपने प्रस्तुति के समर्थन में, आवेदक के अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **निपुण अनेजा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील संख्या 654/2017)** निर्णीत दिनांक 03.10.2024, और **अभिनव मोहन डेलकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (आपराधिक अपील संख्या 2177-2185/2024)** निर्णीत दिनांक 18.08.2025 के निर्णयों पर भरोसा जताया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि सह-अभियुक्त निर्मला कुमारी को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 15160/2026, निर्मला कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 24.06.2026 द्वारा जमानत दी जा चुकी है। विवेचना पूरी हो चुकी है और आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 15.02.2026 से जेल/कारागार में है, और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन अभिलेख से उपरोक्त प्रस्तुतियों का संतोषजनक खंडन नहीं कर सके।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंबित रूप से दर्ज की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और विवेचना के दौरान एकत्रित सामग्री के अनुसार, धारा 108 बी.एन.एस. के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते हैं। आवेदक द्वारा ऐसा कोई प्रत्यक्ष या निकटवर्ती कृत्य नहीं किया गया है जिसे आत्महत्या के लिए उकसाने, षड्यंत्र रचने या जानबूझकर सहायता करने के रूप में माना जा सके। इसके अतिरिक्त, आवेदक पाँच माह से अधिक समय से हिरासत में है और आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद विचारण के शीघ्र निस्तारण की कोई उम्मीद नहीं है, खासकर तब जब राज्य द्वारा ऐसा कोई उचित संदेह सामने नहीं लाया गया है कि यदि आवेदक को जमानत पर

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिहा किया जाता है तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा, विचारण में बिलंब करेगा या साक्षी को डराएगा। मामले की गुण-दोषों पर टिप्पणी किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक - लवकुश, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

(i) विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा;

(ii) अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; और,

(iii) अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

अगस्त 4, 2026

एसकेटी/-

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।